दिनाक 06.11.2020
प्रेस विज्ञप्ति–06 / 20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सहारनपुर/थाना बेहट

- **पुलिस कार्यवाही में 25,000 रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा .12 बोर, 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस, चोरी के 2300 रु0 नगद, व 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 06.11.2020 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान मानकपुर रजवाहे की पुलिया के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशो को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशो द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी अनिल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से एक अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .12 बोर 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस, चोरी के 2300 रु0 नगद व 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। जिसके विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानो में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना बेहट पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रु0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना बेहट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनिल निवासी ग्राम लखनौती थाना को0देहात सहारनपुर।

बरामदगी

1–01 तमंचा .12 बोर, 02 जीवित, 03 खोखा कारतूस।

2–चोरी के 2300 रु0 नगद।

3–01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बीटा–2

- **पुलिस कार्यवाही में 25,000 रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा .315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 05.11.2020 की सांय थाना बीटा–2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान डाढा गोल चक्कर से गौर अतुल्यम की तरफ जाने वाले सर्विस रोड पर मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी आकिल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैगेस्टर एक्ट के आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना दनकौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 637/2019 धारा 2/3 गैगेंस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु गौतमबुद्धनगर से 25,000 रु0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना बीटा–2 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकिल निवासी ग्राम बिलासपुर थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–01 तमंचा .315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

2–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद बिजनौर/थाना चॉदपुर

- **15–15 हजार रू0 के पुरस्कार घोषित 02 अपराधी गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा, 04 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 06.11.2020 को थाना चॉदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जंगल ग्राम बलीपुर से 02 पुरस्कार घोषित अपराधी 1–अरविन्द 2–मिथुन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 अवैध तंमचा .315 बोर 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार दोनो अभियुक्त थाना चॉदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 541/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15–15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना चॉदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अरविन्द नि0 ग्राम बलीपुर गांवडी थाना चॉदपुर जनपद बिजनौर।
2– मिथुन नि0 ग्राम बलीपुर गांवडी थाना चॉदपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस।
2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद श्रावस्ती/थाना कोवताली भिनगा

- **लूट की घटना का अनावरण, 04 अपराधी गिरफ्तार**
- **लूट के 14 हजार 850 रूपये नगद व बैग**
- **2 अवैध तमंचा 12 बोर, 04 जीवित कारतूस व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 05–11–2020 की रात्रि को कोतवाली भिनगा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बगुरहिया मोड़ के पास से 04 शातिर अभियुक्तो 1–संजय कुमार, 2–रईस, 3–मंगल उर्फ दिनेश कुमार, 4–द्धारिका को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों

के कब्जे से लूट के 14 हजार 850 रूपये नगद व बैग, 02 अवैध तमंचे 12 बोर, 04 जीवित कारतूस व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली भिनगा क्षेत्र में व्यापारी से अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में कोतवाली भिनगा पर मु0अ0सं0 255/2020 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद माल उक्त घटना से संबंधित है।

इस संबंध में कोतवाली भिनगा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—संजय कुमार निवासी पलटनपुर दा0 खैरा कला थाना कोतवाली भिनगा, श्रावस्ती।

2—रईस निवासी साईपुरवा थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती।

3—मंगल उर्फ दिनेश कुमार निवासी लोखड़ियन पुरव थाना कोतवाली भिनगा, श्रावस्ती।

4—द्धारिका निवासी तेलियन पुरवा थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती।

बरामदगी

1—लूट के 14 हजार 850 रूपये नगद व बैग।

2—02 अवैध तमंचे 12 बोर, 04 जीवित कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बिसरख

- **दोहरे हत्या की घटना का अनावरण, 02 अपराधी गिरफ्तार,**
- **लूट के 72 हजार रूपये नगद, चेक बुक, मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 06—11—2020 को थाना बिसरख व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गैलेक्सी वेगा चौराहे के पास से 02 अभियुक्तो 1—अमन हयात खान 2—सौरभ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 72 हजार रूपये नगद, चेक बुक, मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना बिसरख क्षेत्र में चैरी काउंटी सोसायटी में निवास करने वाले दम्पत्ति की हत्या की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 694/2020 धारा 302/394/411/120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से मृतक दम्पत्ति से लूटे गये रूपये, 01 चेकबुक, मोबाइल फोन, रक्त रंजित कपड़े व 01 चाकू बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद माल उक्त घटना से संबंधित है।

इस संबंध में थाना बिसरख द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमन हयात निवासी दरियापुर थाना सग्रांमपुर जनपद मोतीहारी बिहार। हालपता–फ्रेंच अपार्टमेंट बिसरख गौतमबुद्धनगर।

2–सौरभ नि0 ग्राम खडर जिला मौहाली पंजाब। हालपता–ए टावर स्प्रिंग मीडोज बिसरख गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–लूट के 72 हजार रूपये नगद चेक बुक, मोबाइल फोन आदि।

जनपद रामपुर/थाना सिविल लाइन

- **डकैती की घटना का अनावरण, 10 अपराधी गिरफ्तार**
- **लूट के 1 लाख 68 हजार 752 रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा 10 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 05/6–11–2020 को सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कृष्णा बिहार कालोनी रोडवेज बस अड्डा के पास से 10 अभियुक्तो 1–सलमान, 2–यासीन, 3–गोविन्द, 4–सोनू, 5– जयदीप, 6–धनराज उर्फ गोलू, 7–रवि, 8– अनमोल, 9–सोनू, 10–दीपक, को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 1 लाख 68 हजार 752 रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा 10 जीवित कारतूस व 01 कार्टून गत्ता आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.11.2020 को वादी से अज्ञात बदमाशों द्वारा डकैती की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 374/2020 धारा 395/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बरामद माल को उक्त से संबंधित होना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सलमान नि0 ग्राम घोसीपुरा थाना पटवाई रामपुर।
2—यासीन नि0 कर्बला कस्बा व थाना पटवाई रामपुर।
3—गोविन्द नि0 ग्राम सूरजपुर थाना पटवाई रामपुर।
4—सोनू नि0 प्रेम पटवारी वाली गली ज्वालानगर थाना सिविल लाइन रामपुर।
5—जयदीप नि0 प्रेम पटवारी वाली गली ज्वालानगर थाना सिविल लाइन रामपुर।
6—धनराज उर्फ गोलू नि0 ग्राम पटरिया थाना पटवाई रामपुर।
7—रवि नि0 इन्द्रप्रस्थ कालोनी गली नं004 ज्वालानगर थाना सिविल लाइन रामपुर।
8—अनमोल नि0सराय गेट घोसियान थाना कोतवाली जनपद रामपुर।
9—सोनू नि0 कस्बा व थाना पटवाई रामपुर।
10—दीपक नि0 गोलना कलडिया धारानोला जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड।

बरामदगी

1— लूट के 1 लाख 68 हजार 752 रूपये नगद।
2—01 मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा 10 जीवित कारतूस व 01 कार्टून गत्ता आदि।

जनपद गाजियाबाद/सिहानीगेट (व्यापारी की सकुशल बरामदगी)

दिनांक 28.10.2020 को वादिनी द्धारा अपने पति पराग घोष किराना व्यापारी के संबंध में सूचना दी कि दिनांक 27.10.2020 को प्रातः उनके पति अपनी कार से किसी काय्र के लिये घर से निकले थे, वह दिनांक 28.10.2020 की प्रातः तक लापता है, उनका मोबाइल फोन स्विच आफ है। इस सूचना पर थाना सिहानीगेट पर मु0अ0सं0 1717/2020 धारा 365 भादवि पंजीकृत किया गया।

घटना के शीघ्र अनावरण हेतु गाजियाबाद पुलिस द्वारा टीमे गठित कर व्यापारी श्री पराग घोष को आज दिनांक 06.11.2020 को कोलकत्ता के होटल कोन्टीनेन्टल गेस्ट हाउस से सकुशल बरामद कर लिया गया तथा चर्च मिशन पार्किंग (फतेहपुरी) पुरानी दिल्ली में खड़ी गुमशुदा की कार को भी बरामद कर लिया गया। गुमशुदा श्री पराग घोष द्वारा गाजियाबाद पुलिस को प्राथमिक पूछतांछ में स्वयं अपनी इच्छा से व्यक्तिगत एवं आर्थिक कारणों से घर से चला जाना बताया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा आगामी त्यौहारो आदि के दृष्टिगत अपराधों की रोकथाम व कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु विभिन्न बिन्दुओं पर दिनॉक 10–10–2020 से अभियान चलाने के निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में **05**–11–2020 तक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत हैः–

अभियान के दौरान पंजीकृत गैंग व गैंग के विरूद्ध कार्यवाही

1	प्रदेश में अभियान के दौरान पंजीकृत गैंगो की संख्या	92
2	कुल गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या	224
3	गुण्डा एक्ट में की गयी कार्यवाही की संख्या	113
4	गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत की गई कार्यवाही संख्या	287
5	एन0एस0ए0 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की संख्या	01

अभियान के दौरान दिनांक 10.10.2020 से 05.11.2020 तक की गई निरोधात्मक कार्यवाही का विवरण

1	गुण्डा एक्ट में की गयी कार्यवाही की संख्या	2885
2	गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की संख्या	1296
3	एन0एस0ए0 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की संख्या	36
4	अन्य अधिनियम में कार्यवाही	12503

जनपद बुलन्दशहर/थाना छतारी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे खुर्जा बुलन्दशहर द्वारा थाना छतारी पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/307 भादवि में अभियुक्त अतुल को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद बदायूँ (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की लगभग 14 लाख 23 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद बदायूँ पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाली अभियुक्त अनीस द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 14 लाख 23 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

एसटीएफःदूसरे व्यक्ति के शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से जनपद सीतापुर में नियुक्त शिक्षक को एसटीएफ उत्तर प्रदेश ने किया गिरफ्तार।

श्री बजरंग भूषण पुत्र रामसूरत Assistant professor in Education दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग, आगरा के शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर प्राथमिक विद्यालय पर्वतपुर विकासखण्ड बेहटा जनपद सीतापुर में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार करने में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

1. ऋषिकेश मणि त्रिपाठी पुत्र राममणि त्रिपाठी निवासी बेलही तिवारी बैतालपुर, गौरीबाजार, देवरिया।

बरामदगीः—

1. बजरंग भूषण के नाम से शैक्षिक दस्तावेज 10 वर्क
2. 01 अदद ऋषिकेश मणि नाम से आधार कार्ड नं0—885113442080 की छाया प्रति
3. 01 अदद बजरंग भूषण नाम से आधार कार्ड नं0—978197961061
4. 01 अदद बजरंग भूषण के नाम से एस0बी0आई0 एटीएम कार्ड नं0—5596010153150980
5. 01 अदद ऋषिकेश मणि के नाम से पी0एन0बी0 एटीएम कार्ड नं0—5575542010962673
6. 02 अदद मोबाइल फोन
7. रूपया—620/— नगद

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः—

जी0आई0सी0 चौराहा, जनपद सीतापुर से। दिनांक—05.11.2020, समय 18:15 बजे

एसटीएफ लखनऊ मुख्यालय को फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी तरीके से शिक्षक नियुक्त होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन फर्जी तरीके से नियुक्त शिक्षको के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु श्री सत्यसेन यादव, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 को हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री सत्यसेन यादव, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 मुख्यालय गठित टीम द्वारा जाँच/अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

इसी क्रम में श्री बजरंग भूषण पुत्र रामसूरत Assistant professor in Education दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि उनके पैन नं0—AUTPB4908P पर वर्ष 2020—21 में Finance & Account Officer Basic Education Sitapur के Tan Number LKNFO5133Cl से रू0—53879/— जमा किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके शैक्षिक व अन्य दस्तावेजों के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद सीतापुर में दूसरा कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से नियुक्त होकर नौकरी कर रहा है।

प्राप्त शिकायत के क्रम में निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया तथा गोपनीय तरीके से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद सीतापुर के माध्यम से उपरोक्त शिक्षक के शैक्षिक दस्तावेजों की प्रति प्राप्त की गयी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद सीतापुर से प्राप्त उपरोक्त शिक्षक के अंकपत्रों का सत्यापन राष्ट्रीय इण्टर कालेज तहबरपुर, आजमगढ़ से कराया गया, तब ज्ञात हुआ कि शैक्षिक दस्तावेज सही हैं। अभिलेखों में पता इनायतनगर पूरेछत्ता बीकापुर फैजाबाद दर्ज है। उपरोक्त पते पर जानकारी करायी गयी, तब ज्ञात हुआ कि श्री बजरंग भूषण पुत्र रामसूरत

वर्तमान में Assistant professor in Education के पद पर दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग, आगरा में नियुक्त हैं, जिनका मोबाइल नम्बर 9450901620 है। तद्नुसार एस0टी0एफ0 टीम द्वारा जी0आई0सी0 चौराहा, जनपद सीतापुर से प्राथमिक विद्यालय पर्वतपुर, विकासखण्ड बेहटा, जनपद सीतापुर में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त फर्जी शिक्षक को दिनांक–05. 11.2020 को समय 18:15 बजे गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त/फर्जी शिक्षक बजरंग भूषण ने बताया कि उसका असली नाम **ऋषिकेश मणि त्रिपाठी पुत्र राममणि त्रिपाठी निवासी बेलही तिवारी बैतालपुर, गौरीबाजार, देवरिया है** तथा जन्मतिथि 14.09.1983 है। प्राथमिक शिक्षा गोविन्द शिशु शिक्षा निकेतन बैतालपुर में हुई तथा हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 1996 में थापर इण्टर कालेज बैतालपुर से किया तथा वर्ष 1998 में महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण किया। बाबा राघवदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मडपही, जनपद देवरिया से बी0ए0 की परीक्षा वर्ष 2004 में उत्तीर्ण किया। वर्ष 2008 में उसका विवाह स्नेहलता तिवारी पुत्री रमाशंकर तिवारी निवासी ग्राम नोनापार, थाना भटनी, जनपद देवरिया से हुआ।

कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि उसके पिता अशोक इण्टर कालेज, परपा, देवरिया में लेक्चरर के पद पर नियुक्त थे, जिन्होंने किसी के माध्यम से बजरंग भूषण का शैक्षिक दस्तावेज एवं उसकी पत्नी स्नेहलता तिवारी को स्वाती तिवारी पुत्री विनोद चन्द्र तिवारी का शैक्षिक दस्तावेज उपलब्ध कराया था। बजरंग भूषण के शैक्षिक दस्तावेज के आधार पर वर्ष 2009 में सहायक अध्यापक के पद पर चयनित हुआ तथा जनपद सीतापुर में प्रशिक्षण के उपरान्त प्राथमिक विद्यालय गेरूहा ब्लाक, लहरपुर, जनपद सीतापुर में नियुक्त हुआ था। उसकी पत्नी स्नेहलता तिवारी पुत्री रमाशंकर तिवारी वर्तमान में स्वाती तिवारी पुत्री विनोद चन्द्र तिवारी के शैक्षिक दस्तावेज के आधार पर प्रधानाध्यापक के पद पर प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर, जनपद सीतापुर में नियुक्त हैं। स्वाती तिवारी पुत्री विनोद चन्द्र तिवारी के बारे में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि वास्तविक स्वाती तिवारी पुत्री विनोद चन्द्र तिवारी वर्तमान में सहायक अध्यापक के पद पर कन्या प्राथमिक विद्यालय, कैम्पियरगंज, जनपद गोरखपुर में नियुक्त हैं। स्वाती तिवारी पुत्री विनोद चन्द्र तिवारी उपरोक्त के शैक्षिक दस्तावेज के आधार पर जनपद बाराबंकी एवं जनपद देवरिया में 02 अन्य शिक्षिका फर्जी तरीके से चयनित होकर नौकरी कर रही थी। जनपद बाराबंकी में नियुक्त स्वाती तिवारी के नाम से तथाकथित फर्जी शिक्षिका को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा जनपद देवरिया एवं जनपद बाराबंकी में फर्जी तरीके से नियुक्त स्वाती तिवारी पुत्री विनोद चन्द्र तिवारी नामक शिक्षिकाओं को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त ऋषिकेश मणि त्रिपाठी पुत्र राममणि त्रिपाठी निवासी बेलही तिवारी बैतालपुर गौरीबाजार देवरिया एवं स्नेहलता तिवारी पुत्री रमाशंकर तिवारी (प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर जनपद सीतापुर) नि0–नोनापार भटनी देवरिया एवं अभियुक्त ऋषिकेश मणि त्रिपाठी के पिता रामणि त्रिपाठी के विरूद्ध कोतवालीनगर, जनपद सीतापुर में मु0अ0सं0 655/2020 धारा–409, 419, 420, 467, 468, 471, भादवि पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।